कार्यालय–मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

(अनाधिकृत निर्माण / विकास कार्य के सील हेतु आदेश)

पत्रांक : 2119 / वाद सं0 सी–0279 / एस–5 / 2024 दिनांक: 24.6. 2024

श्री सुभाष शती,
चौधरी फार्म, आदर्श कॉलोनी,
फेज–2, नकरौंदा, देहरादून।

आपके द्वारा स्थल पर लगभग 50 गुणा 20 फीट क्षेत्रफल में भूतल पर पॉच दुकानों एवं प्रथम तल पर आवासीय निर्माण किये जाने व मौके पर स्वीकृत मानचित्र नही दिखाये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम–1973) संशोधन अधिनियम–2009, की सुसंगत धाराओं अन्तर्गत कारण बताओ एंव स्थल पर अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु नोटिस निर्गत करते हुये वाद सं0 सी–0279 / एस–5 / 2024 योजित किया गया था।

उपरोक्त वाद में दिनांक 06.05.2024 को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम,–2009 की धाराओं के अन्तर्गत आपको "कारण बताओ नोटिस" एवं निर्माण कार्य रोकने की सूचना प्रेषित की गयी। जिसे स्थल पर तामिल कराया गया।

उक्त नोटिस के द्वारा आपको अवगत कराया गया कि आप द्वारा उपरोक्त स्थल पर अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 06.05.2024 की तिथि नियत की गयी, नियत तिथि पर विपक्षी अनुपस्थित रहे, इसी क्रम में विपक्षी को सुनवाई हेतु का अवसर प्रदान करते हुए कार्यालय पत्रांक 1080 दिनांक 20.05.2024 के माध्यम से सील हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए दिनांक 30.05.2024 की तिथि नियत की गयी, नियत तिथि पर विपक्षी उपस्थित हुए एवं विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त स्थल पर प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत नहीं किये जा रहे है, किन्तु क्षेत्रीय अवर अभियन्ता आख्या दिनांक 18.06.2024 के अनुसार विपक्षी द्वारा किये गये निर्माण के उपर से इलैक्ट्रिक लाईन गुजरने के कारण प्रश्नगत निर्माण को सील किये जाने हेतु आख्या प्रस्तुत की गयी है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा जानबूझ कर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नही है।

अतः चालान शुदा अनाधिकृत निर्माण मे सीलिंग कार्यवाही के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है। इसी क्रम में आपके द्वारा किये गये चालान शुदा अनाधिकृत निर्माण को सील किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

–आदेश–

अतः विपक्षी श्री सुभाष शती, चौधरी फार्म, आदर्श कॉलोनी, फेज–2, नकरौंदा, देहरादून द्वारा स्थल पर लगभग 50 गुणा 20 फीट क्षेत्रफल में भूतल पर पॉच दुकानों एवं प्रथम तल पर आवासीय निर्माण किये जाने व मौके पर स्वीकृत मानचित्र नही दिखाये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम–1973) संशोधन अधिनियम–2009, की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः चालानशुदा निर्माण को सील किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अनाधिकृत निर्माण को दिनांक 28/6/24 को सील किया जाना है। आदेश की प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय। तदनुसार सूचित हो।

अधिशासी अभियन्ता / पी0अधि0,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।